

24.05.2022:- आज यह पत्रावली वादीगण दिलशाद आदि  
जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वा द्वारा  
प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली को पेशी में  
लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया  
गया। वादीगण ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन  
किया की उक्त वाद को आगे कोई कार्यवाही नहीं  
चलाना चाहते। वादीगण अधिवक्ता को उक्त  
प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। वादीगण का  
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण के  
फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण  
की पहचान अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वा द्वारा  
की गई। अतः वादपात्र वादी मौजूदा सूरत में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर बाद तरबीज तकमील दखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
नमानगढ़